जम्मू व कश्मीर
सूचना अधिकार अधिनियम, 2009
(2009 की अधिनिय संख्या VIII)

(20 मार्च 2009)

लोक अधिकारीयों के नियंत्रण के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच पाने के लिए राज्य के लोगों के लिए सूचना अधिकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिनियम, ताकि प्रत्येक लोक प्रधिकरण के कार्यचालन, राज्य सूचना आयोग के गठन तथा तत्सम्बन्धित अथवा तत्प्रासंगिक मामलों में पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा मिल सके,

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थपना की है; और

जबकि लोकतंत्र एक जानकार नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो इसके कर्त्तव्यपालन में और भ्रष्टाचार रोकने में भी और सरकार तथा उसके सहायक अंगों को शाशित वर्ग के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अत्यन्त महात्त्वपूर्ण हैं; और

जबकि वास्तविक व्यवहार मे सूचना का प्रकटीकरण अन्य लोक हितों के साथ सम्मवतः उलझनें पैदा कर सकता है जिसमें सरकार के कुशल कार्यचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग तथा संवेदी जानकार की गोपनीयता का सरंक्षण भी शमिल है; और

जबकि लोग तांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता बनेाई रखते हुए इन विरोधी लोकहितों का सामंजस्य करना आवश्यक है; और

जबकि इच्छुक नागरिकों के कुछ जानाकरी उपलब्ध कराना युक्ति संगत है।

जम्मू व कश्मीर विधान मंडल द्वारा भारत के गणतंत्र के साठवें वर्ष में यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :- (1) यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार अधिनियम कहलाया जा सकेगा।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में है।
   3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. **परिभाषाएं**:- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार अधिनियम, 2009
   ख) 'सक्षम' प्राधिकरण' से अभिप्रेत है–
      i. राज्य की विधान सभा के मामले में अध्यक्ष (स्पीकर) और राज्य की विधान परिषद के मामले में सभापति;
      ii. उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश;
      iii. भारत के संविधान अथवा जम्मू व कश्मीर के संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित अथवा गठित अन्य प्रधिकाणों के मामले में राज्यपाल;
   ग) 'राज्य' से अभिप्रेत है जम्मू व कश्मीर राज्य;
   घ) 'सूचना' से अभिप्रेत है किसी भी रूप में (कोई भी सामग्री जिसमें शामिल है अभिलेख, प्रलेख, ज्ञापन, ई मेल, राय, परामर्श, प्रेस, विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लाग बुक्स, ठेके, प्रतिवेदन, काग़ज़ात, नमूने, आदर्श नमूने, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गई डाटा सामग्री और किसी प्राईवेट निकाय से सम्बन्धित जानकारी जिस तक किसी लोक प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पहुंचा जा सकता है;
   ड.) 'निर्धारित' से अभिप्रेत है सरकार अथवा सक्षम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित;
   च) 'लोक प्राधिकरण' से अभिप्रेत है स्वायत शासन का कोई प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा संस्था जो निम्नानुसार दिए गए किसी माध्यम से संस्थापित अथवा गठित किए गए हों–

i. भारत के संविधान अथवा जम्मू व कश्मीर के संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत;

ii. संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा;

iii. राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा;

iv. सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा बनाए गए किसी आदेश द्वारा, जिसमें शामिल है कोई–

क) स्वामित्व वाला, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

ख) गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है;

छ) 'लोक सूचना अधिकार' से अभिप्रेत है उप धारा (i) के अन्तर्गत मनोनीत किया गया लोक सूचना अधिकारी और जिस में शामिल है धारा 5 की उप धारा (2) के अन्तर्गत इस प्रकार मनोनीत किया गया सहायक सूचना अधिकारी;

ज) 'अभिलेख' में शामिल है–

i. कोई प्रलेख, हस्तलिपि और फाइल;

ii. प्रलेख की कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिलिपि;

iii. ऐसी माइक्रोफिल्म (परिवर्धित अथवा नहीं) में गर्भित कोई फिर से बनाई गई प्रतिकृति अथवा प्रतिकृतियां; और

iv. कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा बनाई गई कोई अन्य सामग्री;

झ) 'सूचना अधिकार' से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत पहुंच के योग्य सूचना का वह अधिकार है जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया हो या उसके नियंत्रण के अधीन हो और जिस में शामिल है निम्नवत् दिया गया अधिकार–

i. निर्माण कार्य, प्रलेखों, अभिलेखों के निरीक्षण का;

ii. प्रलेखों अथवा अभिलेखों की टिप्पणियां, उद्धरण, अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने का;

iii. समग्री के प्रमाणित नमूनों को प्राप्त करने का;

iv. डिस्केटों, फ्लापियों, टेपों, वीड़ियों, कैसेटों के रूप में जानकारी लेने का अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक पद्धति के रूप में अथवा

प्रिंट आउटों के माध्यम से प्राप्त करने का, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर अथवा किसी अन्य साधन में संचित की गई हो;

ट) 'राज्य सूचना आयोग' से अभिप्रेत है धारा 12 की उप धारा (i) के अन्तर्गत गठित राज्य सूचना आयोग;

ट) 'राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त' तथा 'राज्य के सूचना आयुक्त' से अभिप्रेत है धारा 12 की उप धारा (3) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य का सूचना आयुक्त;

ठ) 'तीसरी पार्टी' से अभिप्रेत है नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति जो सूचना के लिए अनुरोध करता है और जिसमें लोक प्राधिकरण भी शामिल है।

अध्याय II
सूचना अधिकार तथा लोक प्राधिकरणों के कर्त्तव्य

3. **सूचना अधिकारः**- अधिनियम की शर्तों के अधीन, राज्य में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार होगा।

4. **लोक प्राधिकरणों के कर्त्तव्यः**- (i) प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए निम्नानुसार करना अनिवार्य होगा–

क) अपने समस्त अभिलेखों का रखरखाव करेगा जो ऐसे तरीके से और फार्म पर विधिवत् सूचीबद्ध और सूचकांकित किए गए हों जिस से अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अधिकार सुगम बन जाता है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे तमाम अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत करने के लिए यथोचित हैं, सारे उचित समय के अंदर और संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अधीन कंप्यूटरीकृत हों और सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न प्रणालियों पर एक तन्त्र प्रणाली के माध्यम से जुड़े हों ताकि ऐसे अभिलेखों की पहुंच सुलभ हो सके;

ख) अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ बीस दिनों के अंदर निम्नवर्णित प्रकाशित करेगा,

i. अपने संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों के ब्यौरे;

ii. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

iii. निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा अधीक्षण और जवाब देही के मार्गों में अपनाई गई कार्याप्रणाली;

iv. अपने कर्त्तव्यों को निमाने के लिए इसके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड;

v. अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए इसके द्वारा रखे गए अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तकें तथा अभिलेख;

vi. अपने पास रखे गए अथवा इसके नियत्रंणाधीन प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण;

vii. इसके नीतिनिर्धारण अथवा उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित जनता के सदस्यों के साथ, अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा, परामर्श के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था के ब्यौरे;

viii. इसके अंग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित दो अथवा अधिक व्यक्तियों से सम्मन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुगम है;

ix. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नामावली

x. इसके प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिद्विश्रमिक तथा इसके यथा विनियमों में व्यवस्थित प्रतिपूर्ति की प्रणाली;

xi. इसकी प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट जो सारे प्लानों, प्रस्तावित व्ययों और किए गए वितरणों पर रिपोर्टो के ब्यौरे दर्शाता हो;

xii. परिदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके तथा आवंटित राशियां तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभभोगियों के ब्यौरे;

xiii. इसके द्वारा अनुमोदित रियायतों, पर्मिटों अथवा प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे;

xiv. इसके उपलब्ध अथवा इस के द्वारा धारण की गई उस जानकारी, जो इलेक्ट्रानिक फार्म में व्यवस्थित की गई है से सम्बन्धित ब्यौरे;

xv. जानकारी को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे तथा पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष, यदि जनता हेतु रखे गए हों, का कार्य समय;

xvi. लोक सुचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्यौरे;

xvii. कोई ऐसी जानकारी जो निर्धारित की जाएगी; और उसके बाद इन प्रकाशनों का प्रति वर्ष अद्यतन करें;

ग) आवश्यक नीतियों को निर्धारित करते अथवा निर्णय घोषित करते समय, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ता हो, तमाम प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

घ) अपने प्रशासकीय अथवा अर्धन्यायिक निर्णयों के कारण प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराएं।

2. यह प्रत्येक लोक प्राधिकरण को प्रयत्न होगा कि वह उप धारा (i) के खण्ड (ख) की अपेक्षताओं के अनुरूप संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिस में इंटर्नेट शामिल है, नियमित अंतरालों पर जनता को इतनी आवश्क जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोग में अधिक दौड़ धूप न करनी पड़े।

3. उप धारा (i) के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक सूचना का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से इस स्वरूप और तरीके से करना होगा जो जनता के लिए सुलभ हो।

4. लागत की प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार के सर्वोत्तम प्रभावकारी तरीके को ध्यान में रखने हुए तमाम सामग्री का प्रचार–प्रसार किया जाना होगा और जानकारी, जहां तक संभव हो सके, लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक फार्मेट में आसानी से पहुंच योग्य होगी चाहिए और निःशुल्क अथवा प्रचार माध्यमों की ऐसी लागत पर अथवा छपाई की लागत पर, जो निर्धारित की जाए, उपलब्ध होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :- उप धाराओं (3) और (4) के उद्देश्यों के लिए 'प्रचार–प्रसार' से अभिप्रेत है जनता को सूचना पटों, समाचार पत्रों, आम घोषणाओं, मीड़िया, प्रसारणों, इंटर्नेट अथवा अन्य साधनों के माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण भी शामिल है, सूचना का बोध कराना अथवा समाचार देना।

5. लोक सूचना अधिकारियों को नामज़द किया जाना (i) प्रत्येक लोक प्रोसधिकरण इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ दिनों के अंदर अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को

आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने अधीन समस्त प्रशासकीय इकाइयों अथवा कार्यालयों में इतने अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामज़द करेगा जितने आवश्यक होंगे।

(2) उप धारा (i) के प्रावधानों का पक्षपात किए बिना प्रत्येक लोक प्राधिकरण इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ दिनों के अंदर प्रति उप मंडलीय स्तर पर अथवा अन्य उप ज़िला स्तर पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अथवा अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए तथा उन आवेदनों को धारा 16 की उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए लोक सूचना अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी के पास अथवा राज्य सूचना आयोग के पास, जैसा भी मामला हो, तुरन्त अग्रेषित करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामज़द करेगाः

परंतु जहां सूचना अथवा अपील के लिए आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है तो उस सूरत में धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट उत्तर देने के लिए अवधि की गणना में पांच दिनों की अवधि जोड़ी जाएगी।

3. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों को निपटाएगा और ऐसी जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को तर्कोचित सहायता प्रदान करेगा।

4. लोक सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी की सेवा प्राप्त कर सकता/सकती है जैसा कि वह अपने कर्त्तव्य को समुचित रूप से निमाने के लिए आवश्यक समझता/समझती हो।

5. कोई अधिकारी, जिसकी सेवा उप धारा (4) के अन्तर्गत मांगी गई है, उसकी सेवा मांगने वाले लोक सूचना अधिकारी को सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध कराएगा/ कराएगी और इस अधिनियम के प्रावधानों में किसी विसंगति के उद्देश्यों के लिए ऐसा अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के रूप में माना/मानी जाएगा/जाएगी।

6. **सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध-** (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहता है, वह अग्रेंजी, उर्दू, अथवा हिन्दी में लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जिसके साथ आवश्यक शुल्क जो निर्धारित किया जाएगा लगा हो,

निम्नलिखित को अनुरोध करोगा –

क. सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को;

ख. सहायक लोक सूचना अधिकारी को;

जिस में उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के ब्यौरे दिए गए हों;

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता, लोक सूचना अधिकारी मौखिक रूप में अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सारी तर्क संगत सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि लिखित रूप में देने से बचा जाए।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह सूचना के अनुरोध के लिए कोई कारण बताए या कोई व्यक्तिगत ब्यौरे प्रदान करे सिवाय उनके जो उसके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

(3) जहां लोक प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है जिसमें ऐसी जानकारी के लिए अनुरोध किया गया हो–?

क. जो दूसरे लोक प्राधिकारण के पास है; अथवा?

ख. जिसकी विषय–वस्तु दूसरे लोक प्राधिकरण के दायित्वों के साथ अधिक नज़दीकी के साथ जुड़ी है,

तो वह लोक प्रधिकरण, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, इस आवेदन को अथवा इसके ऐसे भाग को जो समुचित हो, दूसरे लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा और आवेदक को अंतरण करने की तुरन्त सूचना देगा;

परन्तु इस उप धारा के अनुसरण में आवेदन का हस्तांतरण जितना जल्दी संभव होगा किया जाएगा किन्तु किसी भी सूरत में आवेदन की प्राप्ति की तिथि से लेकर पांच दिनों के बाद नहीं।

7. अनुरोध का निपटारा–(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परन्तुक अथवा धारा 6 की उप धारा (3) के परंतुक की शर्तो के अधीन लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अन्तर्गत अनुरोध की प्राप्ति पर जितनी जल्दी संभव हो सके, और किसी भी सूरत में अनुरोध की प्राप्ति से लेकर तीस दिनों के अंदर ऐसे शुल्क जो निर्धारित किया जाएगा की अदामगी पर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा अथवा धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा;

परन्तु जहां मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से

सम्बन्ध रखती है तो वह अनुरोध की प्राप्ति से लेकर अठतालीस घण्टों के अन्दर–अन्दर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि लोक सूचना अधिकारी उप धारा (2) के अर्न्गत निर्दिष्ट की गई अवधि के अन्दर सूचना के लिए अनुरोध पर निर्णय लेने पर असफल रहता है, तो यह समझा जाएगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर लिया है।

(3) जहां यह निर्णय किया जाता है कि सूचना और अधिक शुल्क देने पर जो सूचना उपलब्ध कराने की लागत बनती है, उपलब्ध कराई जाएगी, तो लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए सूचित करेगा जिसमें निम्नानुसार दी गई बाते भी दर्ज होंगी –

क. सूचना को उपलब्ध कराने के लिए लागत के रूप में उनके द्वारा यथा निर्धारति और अधिक शुल्क के ब्यौरे तथा उप धारा (1) के अन्तर्गत यथा निर्धारित शुल्क के अनुरूप राशि का हिसाब लगाने के लिए की गई गणना, जिसमें वह शुल्क जमा कराने के लिए उस को अनुरोध किया जाएगा, और उस उप धारा में संदभित तीस दिनों की अवधि की गणना करने के उद्देश्य के लिए उपरोक्त सूचना के प्रेषण और शुल्कों की अदायगी के बीच आने वाली अवधि को वर्जित किया जाएगा;

ख. अपीलीय प्राधिकारी, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य तरतीब के ब्यौरों सहित प्रभारित किए गए शुल्क की राशि अथवा उपलब्ध कराई गई पहुंच के बारे में उसके अधिकार से सम्बन्धित जानकारी।

(4) जहां अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख अथवा उसके भाग पर पहुंच उपलब्ध करनी अपेक्षित है और वह व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध करानी अपेक्षित है दिमागी तौर विक्लांग है, लोक सूचना अधिकारी उसको ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वह सूचना की पहुंच पाने में समर्थ हो सके जिसमें ऐसी सहायता उपलब्ध करानी भी शामिल है जो निरीक्षण के लिए समुचित हो।

(5) जहां जानकारी की पहुंच छापे गए अथवा किसी इलेक्ट्रानिक फार्मेट में उपलब्ध कराई जानी है, आवेदक को, उप धारा (6) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे शुल्क की अदायगी करनी होगी;

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क युक्ति संगल होगा और गरीबी की रेखा से नीचे वसने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क बसूल नही किया जाएगा जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(6) उप धारा (5) में विहित किसी बात के बावजूद, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट समय सीमाओं का अनुपालन करने में कोई लोक प्राधिकरण सफल नहीं होता है।

(7) उप धारा (1) के अन्तर्गत कोई निर्णय लेने से पहले, लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष द्वारा धारा 11 के अन्तर्गत किए गए अभिवेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां अनुरोध को उप धारा (1) के अन्तर्गत अस्वीकार किया गया हो, लोक सूचना अधिकारी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को निम्नानुसार सूचित करेगा–

क. अस्वीकार करने का कारण;

ख. अवधि जिसके अंदर अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है; और

ग. अपीलीय प्राधिकरण के ब्यौरे।

(9) सूचना साधारणतः उसी रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिस रूप में वह मांगी गई हो जब तक कि वह लोक प्राधिकरण के संसाधनों को असमानानुपात रूप में अपवर्तित न करे अथवा विचाराधीन अभिलेख की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिए हानिकर न हो।

8. **सूचना के प्रकटीकरण से छूटः** (1) इस अधिनियम में विहित किसी बात के बावजूद किसी नागरिक को निम्नवत् देने में कोई बाध्यता नहीं होगी–

(क) जानकारी, जिसका प्रकटीकरण पक्षपात रूप में भारत की संप्रभुता और अखंडता पर और राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों पर प्रभाव डाले अथवा जिस से कोई अपराध भड़के;

(ख) जानकारी, जिसके छापे जाने पर स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया हो अथवा जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवभानना मानी जाएगी;

(ग) जानकारी, जिस का प्रकटीकरण संसद अथवा राज्य विधान मंडल के

विशेषाधिकों के हनन का कारण बन सकता है;

(घ) जानकारी, जिसमें शामिल है वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार के रहस्य अथवा बौद्धिक सम्पत्ति, जिका प्रकटीकरण तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा स्थिति को हानि पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी जानकारी परम लोक हितार्थ है;

(ड) किसी व्यक्ति को न्यायसीय सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षाम प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी जानकारी परण लोक हितार्थ है;

ञ(च) जानकारी जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की जिन्दगी अथवा शरिरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है अथवा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी अथवा सहायता के स्रोतों की पहचान कराएगा।

(छ) जानकारी, जिसका प्रकटीकरण अपराधियों की तफतीश, गिरिफ्तारी अथवा अभियोग की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगा;

(ज) मंत्रि परिषद, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेखों सहित मंत्रिमंडल के कागज़ात,

परन्तु मंत्रि परिषद के निर्णय, उसके कारण तथा साग्रमी जिसके आधार पर निर्णय लिए गए तब सार्वजनिक किए जाएंगे जब निर्णय लिया गया हो और मामला संपूर्ण अथवा समाप्त हो चुका हो;

परन्तु यह भी कि ऐसे मामले जो इस धारा में निर्दिष्ट की गई छटों के अन्तर्गत आते हैं प्रकटीकृत नहीं किए जाएंगे;

(झ) जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्ध रखती है जिसका प्रकटीकरण किसी लोक गतिविधि अथवा हित से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है अथवा जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछनीय आक्रमण का कारण बन सकता है जब तक कि लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट न हों कि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण का औचित्य लोक हितार्थ है; परन्तु ऐसी जानकारी जो संसद अथवा राज्य विधान मंडल को नकारी नहीं जा सकती किसी व्यक्ति को भी नकारी नहीं जाएगी।

(2) राज्य के राज्य गोपनीयता अधिकनियम समवत् 1977 अथवा उप धारा (1) के अनुरूप जायज़ किसी भी छूट में विहित किसी बात के

होते हुए भी लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है यदि प्रकटीकरण में सुरक्षित हितों की हानि पर लोकहित भारी पड़ता हो।

(3) उप धारा (1) के खंड (क), (ग) और (ज) के प्रावधानों की शर्तो के अधीनकसी उपस्थिति, घटना विशेष अथवा मामले से सम्बन्धित कोई भी सूचना, जो उस तिथि से बीस वर्षो पहले घटी हो जिस तिथि पर धारा (6) के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है, उस धारा के अर्न्तगत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति से अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी;

परन्तु यदि प्रश्न उठता हो कि किस तिथि से बीस वर्षो की उपरोकत अवधि की गणना की जाती है, तो व्यवस्थित की गई सामान्य शर्तो के अधीन सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

9. **कुछ मामलों में पहुंच को अस्वीकार करने के आधारः-** धारा 8 के प्रावधानों का पक्षपात किए बगैर, कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है जहां पहुंच को उपलब्ध कराने के लिए ऐसे अनुरोध से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति में विहित स्वत्वाधिकार का उल्लंघन होता हो।

10. **प्रथक्करण :** (1) जहां सूचना तक पहुंच पाने का अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि इस उस जानकारी से सम्बन्धित है जिसको प्रकटीकरण करने से छूट मिली है जो अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अभिलेख के उस भाग तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जो अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटीकरण के लिए वर्जित है और जो उस भाग से सविवेक अलग की जा सकती है जिस में छूटप्राप्त जानकारी शामिल है।

(2) जहां उप धारा (1) के अन्तर्गत अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है, लोक सूचना अधिकारी आवेदक को ऐसी सूचना से अवगत कराएगा जिसमें निम्नवर्णित जानकारी दी गई हो:

(क) उस अभिलेख का प्रथक्करण करने के उपरान्त जिसमे ऐसी सूचना शामिल है जिसका प्रकटीकरण किया जाना वर्जित है, अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) निर्णय के कारण, जिस में शामिल हैं तथ्य के किसी भौतिक प्रश्न के

कोई निष्कर्ष, जो उस सामग्री को संदर्भित करते हैं जिस पर वह निष्कर्ष आधारित थे;

(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा परिकलित शुल्क के ब्यौरे और शुल्क की राशि जो आवेदक को जमा करानी अपेक्षित है; और

(ङ) जानकारी के एक भाग को ज़ाहिर न करने से सम्बन्धित निर्णय की समीक्षा, प्रभारित किए गए शुल्क की राशि अथवा उपलब्ध कराई गई जानकारी के रूप के बारे में उसके अधिकार जिसमें शामिल हैं धारा 16 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए वरिष्ट अधिकारी के ब्यौरे अथवा राज्य सूचना आयोग के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, समय सीमा, प्रक्रिया तथा पहुंच का कोई अन्य स्वरूप।

11. तीसरे पक्ष से सम्बन्धित जानकारीः- (1) जहां लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अनुरोध पर किसी जानकारी अथवा अभिलेख या उसके भाग के प्रकटीकरण का इच्छुक है जो तीसरे पक्ष से सम्बन्धित है अर्थात् उसके द्वारा दी गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है जो लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध की प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर ऐसे तीसरे पक्ष को लिखित रूप से इस अनुरोध की सूचना तथा इस तथ्य के बारे में कि लोक सूचना अधिकारी जानकारी, अभिलेख अथवा उसके किसी भाग को ज़ाहिर करने का इच्छुक है, की भी सूचना भेजेगा और तीसरे पक्ष को इस बारे में लिखित अथवा मौखिक रूप में जवाब देने के लिए आमंत्रित करेगा कि क्या ऐसी जानकारी ज़ाहिर की जानी चाहिए और जानकारी को ज़ाहिर करने के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष का ऐसा उत्तर ध्यान में रखा जाएगा;

परन्तु सिवाय व्यापार और वाणिज्यिक राज़ों के, जो विधि द्वारा संरक्षित हैं, प्रकटीकरण की अनुमति प्रदान की जाए यदि ऐसे तीसरे पक्ष के हितों की हानि अथवा क्षति पर लोक हितों का महत्व भारी पड़ता हो।

(2) जहां किसी जानकारी अथवा अभिलेख अथवा उसके भाग से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अन्तर्गत तीसरे पक्ष को जारी की जाती है तो तीसरे पक्ष को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से लेकर दस दिनों के भीतर प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) धारा में किसी बात के होने के बावजूद, लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अन्तर्गत अनुरोध की प्राप्ति के बाद चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उप धारा (2) के अर्न्तगत आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है, यह निर्णय लेगा कि क्या जानकारी अथवा अभिलेख अथवा उसके भाग का प्रकटीकरण किया जाए अथवा नहीं और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की सूचना लिखित रूप में जारी करेगा।

(4) उप धारा (3) के अर्न्तगत जारी की गई सूचना में एक विवरण शामिल होगा कि तीसरे पक्ष जिसको सूचना जारी की गई है, को निर्णय के विरुद्ध धारा 16 के अन्तर्गत अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है।

अध्याय III
राज्य सूचना आयोग

12 **राज्य सूचना आयोग का गठनः-** (1) सरकार सरकारी राज्यपत्र में, अधिसुचना द्वारा, एक निकाय, जो जम्मू व कश्मीर राज्य सूचना आयोग कहलाएगा, गठित करेगी जो अधिनियम के अर्न्तगत उसको प्रदत्त शक्तियों तथा उसको सौंपे गए कार्यो का प्रयोग करेगा।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित अधिकारियों से सम्मन्त होगा;

(क) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दो राज्य सूचना आयुक्त।

(3) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य के सूचना आयुक्तों को राज्यपाल निम्नलिखित सदस्यों से सम्पन्न समिति की अनुशंसा पर नियुक्त करेगा–

(क) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और

(ग) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया मंत्रिमंडल दर्जे का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण :- संदेह दूर करने के उद्देश्यों के लिए एतद्वारा घोषणा की जाती है कि जहां विधान सभा में विपक्ष के नेता को इस प्रकार की मान्यता नहीं दी गई है वहां विधान सभा में सरकार के विरुद्ध विपक्ष की भूमिका निभाने वाले एकमात्र सबसे बड़े ग्रुप के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।

(4) राज्य के सूचना आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबन्धन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में सम्पन्न होगा जिस को राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे सारे काम काज करेगा जिनका प्रयोग अथवा कार्यान्वयन राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के अर्न्तगत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशनों के अधीन किए बिना स्वायत्त रूप से किया जाए।

(5) राज्य मुख्य सुचना आयुक्त तथा राज्य के सूचना आयुक्त लोक जीवन में ख्याति के व्यक्ति होने चाहिएं जिनको विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्र कारिता, लोक संचार माध्यम (मास मीड़िया) अथवा प्रशासन और शासन में पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव हो।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त कोई संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य, जैसा भी मामला हो, नहीं होना चाहिए, और न लाभ के किसी अन्य कार्यालय का धारक अथवा किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित अथव किसी करोबार अथवा किसी पेशे से जुड़ा होना चाहिए।

(7) राज्य सुचना आयोग का मुख्यालय राज्य की किसी ऐसी जगह पर होगा जैसा कि सरकार, सरकारी राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

13. **कार्यालय की अवधि और सेवा की शर्तें** :- (1) राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त उस तिथि से लेकर जिस तिथि को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, पांच वर्षो की अवधि के लिए कार्यालय धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए चुनने योग्य नहीं होगा;

परन्तु राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त इस प्रकार का कार्यालय पैसंठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद धारण नहीं कर सकेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त अपना कार्यालय उस तिथि से लेकर जिस तिथि को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है पांच वर्षो की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पैंसठ वर्षो की आयु को प्राप्त करता है, जो भी पहले घटे, धारण करेगा और ऐसे राज्य सुचना आयुक्त के रूप में वह पुनर्नियुक्ति के लिए चुनने योग्य नहीं होगा;

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उप धारा के अन्तर्गत अपना

कार्यालय छोड़ने पर, धारा 12 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट रीति के अनुसार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होगा;

परन्तु यह भी कि जहां राज्य सूचना आयुक्ति को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसके कार्यालय की अवधि राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिला कर पांच वर्षो से अधिक की नहीं होगी।

(3) राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य का सूचना आयुक्त अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्यपाल अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने अनुसची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञा करेगा।

(4) राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय आने हाथ के हस्ताक्षर सहित राज्यपाल को सम्बोधित अपने कार्यालय से त्याग–पत्र दे सकता है:

परन्तु राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त धारा 14 के अन्तर्गत निर्दिष्ट रीति के अनुसार हटाया जा सकता है।

(5) देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें :–

(क) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी जैसी निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी जैसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है;

परन्तु यदि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्ति अथवा राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अपनी किसी पिछली सेवा के सम्बन्ध में विक्लांगता अथवा क्षत पेंशन से भिन्न कोई पेंशन ले रहा हो, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी सेचा से सम्बन्धि ाता उसका वेतन उस पेंशन के बाराबर की राशि तक कम कर दिया जाएगा जिस में सेवा निवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन को छोड़ कर शामिल है पेंशन का कोई अंश जिसका रूपांतरण किया गया था तथा सेचा निवृत्ति लाभों के अन्य रूपों के बराबर पेंशनः

परन्तु यह भी कि जहां राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना

आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य के अधिनियम के द्वारा अथवा अर्न्तगत स्थापित निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियंन्त्रित सरकारी कम्पनी में दी गई किसी पिछली सेवा से सम्बन्धित सेवा लाभों को प्राप्त करता हो, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा से सम्बन्धित उसका वेतन सेवा लाभों के बराबर की पेंशन राशि तक कम कर दिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिस से कि उनकी कोई असुविधा प्राप्त हो।

(6) सरकार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो अधिनियम के अर्न्तगत उनके कर्त्तव्यों के कुशल निष्पादन हेतु आवश्यक हों, तथा अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नियुक्त इन अधिकरियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते या उनकी सेवा की शर्तें इस आकार की होंगी जो निर्धारित की जाएगी।

14. **राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना:-** (1) उप धारा (3) के उपबन्धों की शर्तों के अधीन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त को सिद्ध पाए गए दुराचार अथवा आयोग्यता के आधार पर ही केवल राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जब उच्च न्यायालय राज्यपाल के द्वारा उनको संदर्मित किए गए पत्र पर, जांच के बाद, यह प्रगतिवेदित करे कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा किसी राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए।

(2) संदर्भित पत्र पर उच्च न्यायालय की रिपोर्ट आने पर राज्यपाल के द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जिनके बारे में उच्च न्यायालय को उप धारा (1) के अर्न्तगत पत्र लिखा गया है, को कार्यालय से निलंवित कर सकता है, और यदि आवश्यक समझा जाए, जांच के दौरान कार्यालय आने से मना भी कर सकता है।

(3) उप धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकता है यदि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो,

(क) निर्णय में दिवालिया घोषित किया जाता है; अथवा

(ख) किसी अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें राज्यपाल की राय में, चरित्र हीनता की संलिप्तता है; अथवा

(ग) कार्यालय की अवधि के दौरान अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों से बाहर किसी वेतन भोग्य रोज़गार में व्यस्त होता हो, अथवा

(घ) राज्यपाल की राय में मानसिक अथवा शारिरिक दुर्बलता के कारण कार्यालय में जारी रहने के लिए अयोग्य है; अथवा

(ड) उसने ऐसा वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त किया है जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कर्त्तव्यों को सम्भवतः हानिकर ढंग से प्रभावित कर सकता है।

(4) यदि राज्य का मुख्य सुचना आयुक्त अथवा कोई राज्य सूचना आयुक्त सरकर द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए किसी ठेके अथवा करार से किसी भी तरह कोई स्वार्थ अथवा दिलचस्पी रखते हो अथवा निगमित कम्पनी के सदस्य के साथ मिलकर उसके लाभ में अथवा उससे उपजी किसी सुविधा अथवा परिलब्धियों में सम्मिलित होता है तो वह उप धाग (1) के उद्देश्यों के लिए दुराचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय IV

सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील और दण्ड

15. सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य (1) अधिनियम के उपबन्धों की शर्तो के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत को प्राप्त करना और उसकी जांच करना राज्य सूचना आयोग का कर्त्तव्य होगाः–

(क) जो व्यक्ति या तो इस कारण से लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुआ कि अधिनियम के अर्न्तगत ऐसा कोई अधिकारी नामज़द नहीं किया गया है अथवा सहायक सूचना अधिकारी ने अधिनियम के अर्न्तगत सूचना के लिए उसके आवेदन अथवा अपील को लेने से इंकार किया जो कि लोक सूचना

अधिकारी अथवा धारा 16 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी अथवा राज्य सूचना आयोग जैसा भी मामला हो को अग्रेषित किए जाने थे;

(ख) जिसको अधिनियम के अर्न्तगत अनुरोध की गई किसी सूचना तक पहुंच पाने के लिए इंकार किया गया है,

(ग) जिसको अधिनियम के अर्न्तगत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर मांगी गई सूचना का अथवा सूचना तक प्रवेश करने को कोई जवाब नहीं दिया गया है;

(घ) जिसको शुल्क की राशि भरनी अपेक्षित थी किन्तु जिसको वह विवेकसंगत नहीं समझता/ समझती है,

(ड) जो विश्वास करता / करती है कि उसको अधिनियम के अर्न्तगत अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत जानकारी दी गई है;

(च) अधिनियम के अर्न्तगत अभिलेखों तक प्रवेश करने के अनुरोध अथवा उनको प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी और विषय के बारे में।

(2) जहां राज्य सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट है कि इस मामले में जांच करने के लिए तर्कोचित आधार हैं तो वह उस सम्बन्ध में जांच शुरू कर सकता है।

(3) राज्य सूचना आयोग के इस धारा के अर्न्तगत किसी विषय के बारे में जांच करते समय निम्नलिखित के बारे में वहीं शक्तियां प्राप्त होगी जो दीवानी प्रक्रिया की संहिता सम्वत् 1977 (कोड भाषा सिविल प्रोसीज 2 सम्वत 1977) के अर्न्तगत किसी मुकदमें पर विचार करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, यथा:–

(क) व्यक्तियों को बुलाने और उनको उप स्थिति देने के लिए बाध्य करने तथा शपथ पर मौखिक अथवा लिखित गवाही देने तथा प्रलेख अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए उनको मजबूर करने में;

(ख) प्रलेखों की खोज और उनके निरीक्षण की आवश्यकता में;

(ग) शपथ–पत्र पर गवाही प्राप्त करने में;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख (पब्लिक रिकार्ड) अथवा उसकी प्रतियों की मांग करने में;

(ड) गवाहों अथवा प्रलेखों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करने में, तथा

(च) किसी अन्य विषय में जो निर्धारित किया जाए।

(4) राज्य विधान मंडल के किसी अन्य अधिनियम में विहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, अधिनियम के अर्न्तगत किसी शिकायत की जांच के दौरान राज्य सूचना आयोग किसी भी ऐसे अभिलेख की जांच कर सकता है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है, तथा इस प्रकार का अभिलेख उस से किसी भी आधार पर छिपाया नहीं जा सकता है।

16. **अपीलः**- कोई भी व्यक्ति जो धारा 7 की उप धारा (1) अथवा उप धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति से अथवा ऐसे निर्णय की प्राप्ति से लेकर तीस दिनों के अंदर ऐसे अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है जो प्रति लोक प्रधिकरण में, लोक सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ट है:

परन्तु ऐसा अधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील को मंजूर कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपील कर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील प्रस्तुत करने से रोक गया था।

(2) जहां अपील तीसरे पक्ष की जानकारी को ज़ाहिर करने के लिए धारा 11 के अर्न्तगत लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाती है, सम्बन्धित तीसरे पक्ष की अपील आदेश की तिथि से लेकर तीस दिनों के अन्दर की जाएगी।

(3) जहां, उप धारा (1) के अन्तर्गत अपील पर निर्णय देने के समय, किसी अधिकारी की राय में, लोक सूचना अधिकारी ने, बिना किसी तार्केचित कारण के, सूचना के लिए दिए गए आवेदन को लेने से इनकार किया है अथवा निर्दिष्ट समय के अंदर सूचना को उपलब्ध नहीं कराया है अथवा सूचना के अनुरोध को दुर्भावना से अस्वीकार किया है अथवा जानबूझ कर गलत, अधूरी अथवा भ्रामक सूचना को उपलब्ध कराया है अथवा उस सूचना को नष्ट कर दिया जो अनुरोध का विषय थी अथवा सूचना को उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की, तो वह अधिकारी राज्य सूचना आयोग को उस अभिप्राय का पत्र संदर्भित करेगा/करेगी।

(4) उप धारा (1) के अर्न्तगत दिए गए निर्णय के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के पास की जाने वाली दूसरी अपील की अवधि, उस तिथि से लेकर जिस तिथि को निर्णय दिया जाना चाहिए था अथवा वास्तव में

प्राप्त हुआ था, नव्वे दिनों के अंदर की होगी।

परन्तु राज्य सूचना आयोग नव्वे दिनों की अवधि समाप्त होने वाद भी अपील को ग्रहण कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था

(5) यदि राज्य के लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाती है तीसरे पक्ष की सूचना से सम्बन्धित है, तो राज्य सूचना आयोग तीसरे पक्ष को सूनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा।

(6) अपील की किसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का दायित्व, कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, उस लोक सूचना अधिकारी का होगा जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया।

(7) उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के अर्न्तगत की गई अपील की निपटान, अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर अथवा विस्तारित की गई ऐसी अवधि के अंदर जो उसके दायर करने की तिथि से लेकर कुल मिलाकर पंतालीस दिनों से अधिक की न हो, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा जिसके कारण लिखित रूप से दर्ज होने चाहिए।

(8) राज्य सूचन आयोग का निर्णय बाध्यक होगा।

(9) अपने निर्णय में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं–

(क) लोक प्रधिकरण से अपेक्षाकृत ऐसी कारवाई करवाए जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को विश्वस्त कराने के लिए आवश्यक हो जिसमें शामिल है :–

(i) एक विशिष्ट रूप में सूचना तक पहुंच को उपलब्ध कराकर यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो:

(ii) एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करके;

(iii) किसी सुचा अथवा सूचना की श्रेणियों की प्रकाशित करके;

(iv) अभिलेखों के रखरखा, प्रबन्ध तथा उनको नष्ट करने से सम्बन्धित अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर;

(v) अपने कर्मचायिों के लिए सूचना अधिकार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था में विस्तार करके;

(vi) धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (ख) का अनुपालन करते हुए इस को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करके;

(ख) लोक प्राधिकरण से अपेक्षा करे कि शिकायतकर्ता की हुई किसी हानि अथवा क्षति की प्रतिपूर्ति करे;

(ग) अधिनियम में विहित कोई दण्डात्मक कार्रवाई करे;

(10) राज्य सूचना आयोग अपने निर्णय की सूचना, अपील के लिए अधिकार सहित, शिकायत तथा लोक प्राधिकरण को भेजेगा।

(11) राज्य सूचना आयोग अपील की प्राप्ति से लेकर साठ दिनों के अंदर ऐसी प्रक्रिया के अनुरूप जो निर्धारित की जाएगी अपील का निपटान करेगा;

परन्तु राज्य सूचना आयोग अपील का निर्णय ऐसी विस्तारित तिथि के अंदर करेगा जो उसके प्रस्तुत किए जाने की तिथि से लेकर एक सौ बीस दिनों से अधिक की न हो, जैसा भी मामला हो, जिसके कारण लिखित रूप से देने होंगे।

17. **जुर्माना:-** (1) जहां, किसी शिकायत, अपील अथवा संदर्भ पर निर्णय देते समय राज्य सूचना आयोग की राय में जन सूचना अधिकारी ने, बिना किसी युक्तिसंगत कारण के, सूचना के लिए आवेदन को लेने से इनकार किया है अथवा धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर सूचना को उपलब्ध नहीं कराया है अथवा सूचना के लिए अनुरोध को दुर्भावना से अस्वीकार किया है अथवा जानबूझ कर गलत, अधूरी अथवा भ्रामक सूचना को उपलब्ध कराया है अथवा उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी अथवा सूचना को उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की तो आयोग आवेदन की प्राप्ति अथवा सूचना उपलब्ध कराने तक दो सौ पचास रूपए प्रति दिन का अर्थदंड लगाएगा, किन्तु इस प्रकार, ऐसे अर्थदंड की राशि पचीस हजार रूपय से अधिक की नहीं होगी;

परन्तु इससे पहले कि उस पर कोई अर्थ दंड लगाया जाएगा लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा;

परन्तु और कि यह सिद्ध करने का दायित्व कि उसने विवेकपूर्ण रूप तथा कर्मठता से काम किया लोक सूचना अधिकारी का ही होगा।

(2) जहां किसी शिकायत, अपील अथवा संदर्भ पर निर्णय देते समय राज्य

सूचना आयोग की राय में लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तिसंगत कारण के और आग्रहपूर्ण रूप से सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है अथवा उसने धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है अथवा सूचना के अनुरोध को दुर्भावना से अस्वीकार किया है अथवा जानबूझ कर गलत, अधूरी और भ्रामक सूचना को उपलब्ध कराया है अथवा उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी अथवा सूचना को उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की तो आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उस पर लागू सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा।

अध्याय V
विविध

18. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम अथवा उसके अधीन किसी भी नियम के अन्तर्गत सद्भाव में किए गए अथवा उसी आशय से किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए कोई मुकदमा, अभियोग अथवा अन्य विधि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं होगी।

19. अधिनियम की अधिभावी हैसियत राज्य के राजगुप्ति अधिनियम, सम्वत 1977 तथा अस्थायी रूप से लागू किसी अन्य विधि में अथवा अधिनियम से भिन्न किसी विधि की हैसियत से लागू किसी लेख पत्र में विहित किसी तत्सह असंगति के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

20. न्यायलयों के कार्यक्षेत्र पर रोक–अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश के वारे में कोई भी न्यायालय किसी मुकदमे, आवेदन अथवा अन्य कार्यवाही को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे आदेश पर अधिनियम के अन्तर्गत अपील के रूप से अन्यथा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

21. **अधिनियम कई संगठनों पर लागू नहीं** :- (1) अधिनियम में विहित कोई भी बात ऐसे खुफिया तथा सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी जिनकी सरकार समय समय पर राजपत्र में अधि सूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी; परन्तु भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारों के उल्लंघनों के आरोपों से सम्बन्धित जानकारी इस उप धारा के अन्तर्गत वर्जित नहीं की जाएगी।

परन्तु और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के आरोपों से सम्बन्धित है तो ऐसी जानकारी राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी, और धारा 7 में विहित किसी बात के होने हुए भी ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त हाने की तिथि से लकर पंतालीस दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) उप धारा (1) के अर्न्तगत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मंडल के सदन मे रखी जाएगी।

22. **मानीटरी एव रिपोर्ट करना** :- (1) राज्य सूचना आयोग, जितना शीघ्र व्यवहार्य हो, प्रत्येक वर्ष के अन्त पर उस वर्ष के दौरान अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) प्रत्येक विभाग, अपने कार्यक्षेत्र के अंदर लोक प्राधिकरणों के सम्बन्ध में, ऐसी जानकारी को एकत्रित करके राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के उद्देश्यों के लिए उस जानकारी को भेजने से सम्बन्धित अपेक्षताओं और अभिलेखों के रखरखाब का अनुपालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के सम्बन्ध में जिस वर्ष से रिपोर्ट सम्बन्धित है निम्नानुसार वर्णित होगा–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) अनुरोधों के अनुसरण में निर्णयों की संख्या जहां आवेदाकर्ता प्रलेखों तक पहुंच पाने के लिए हकदार नहीं थे, अधिनियम के उपलब्धों जिनके अर्न्तगत ये निर्णय दिए गए थे तथा कितनी बार इन उपबन्धों का सहारा लेना पड़ा;

(ग) राज्य सूचना आयोग को पुनरीक्षण के लिए संदर्भित अपीलों का स्वरूप तथा अपीलों का परिणाम;

(घ) अधिनियम के न्यायकरण के बारे में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के ब्यौरे;

(ड) अधिनियम के अर्न्तगत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा उगाहे गए प्रभारों की राशि;

(च) कोई तथ्य जो अधिनियम की भावना और आशय को व्यवस्थित तथा

कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों का संकेत देते है;

(छ) अधिनियम अथवा अन्य कानून अथवा सामान्य विधि अथवा सूचना की पहुंच तक पाने के अधिकार के परिचालन हेतु किसी अन्य सम्बन्धित विषय के विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, रिफार्म अथवा संशोधन के लिए कोई लोक प्राधिकरण विशेष से सम्बन्धित सिफारिशों सहित सुधार की सिफारिशें;

(4) सरकार प्रति वर्ष के अवसान पर जितनी जल्दी संभव हो, उप धारा (1) में संदर्मित राज्य सूचना आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान मंडल के प्रति सदन के समक्ष रखवाए।

(5) यदि राज्य सूचना आयोग को प्रतीत हो कि अधिनियम के अर्न्तगत अपने कर्त्तव्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में लोक प्रधिकरण का व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों और भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकरण को इस प्रकार की सिफारिश कर सकता है जिसमें उसके मतानुसार सुधार तथा अनुरूपता लाने के लिए करने योग्य उपाय निर्दिष्ट हों।

23. **सरकार द्वारा कार्यक्रम बनाना** :- (1) सरकार वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की शर्तो के अधीन निम्नानुसार करेः–

(क) जनसाधारण की समझ में विस्तार करने के उद्देश्य से विशेष कर लाभ से वंचित समुदायों के लिए, कि अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, शिक्षा कार्यक्रमों का विकास एवं आयोजन करे;

(ख) लोक प्राधिकरणों खंड (क) में संदर्भित कार्यक्रमों के विकास और आयोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे;

(ग) लोक प्राधिकरणों के द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में वास्तविक सूचना के समयोचित और प्रभावकारी प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे; और

(घ) लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दे और लोक प्राधिकरणों के स्वयं प्रयोगार्थ सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराए।

(2) सरकार, अधिनियम के आरंभ होने से लेकर अठारह महीनों के अंदर राज्य की राजभाषा में एक संदर्शिका का संकलन करेगी जिसमें सहज बोधगम्य रूप और तरीके से ऐसी जानकारी शामिल होगी जो किसी ऐसे

व्यक्ति द्वारा तर्कसंगत रूप से अपेक्षित हो जो अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहिता हो।

(3) यदि आवश्यक हो, सरकार उप धारा (2) में वर्णिन मार्गनिर्देशों को नियमित अन्तरालों में अद्यतन करके प्रकाशित करेगी जिसमे विशेष कर और उप धारा (2) की सामान्यता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले निम्नवत् शामिल होगा–

(क) अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए जन सूचना अधिकारी के डाल एवं गली का पता, दरूभाष तथा फैक्स नं. और यदि उपलब्ध हो, इलैक्ट्रानिक डाक का पता;

(ग) रीति तथा रूप जिसमें सूचना की पहुंच के लिए जन सूचना अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा;

(घ) अधिनियम के अधीन जन सूचना अधिकारी से मिलने वाली सहायता तथा उसके कर्त्तव्य;

(ड) राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध होने वाली सहायता;

(च) अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा सौंपे गए अधिकार अथवा कर्त्तव्य के सम्बन्ध में कार्य करने में असफल रहने से सम्बन्धित विधि में उपचारी उपाय तथा आयोग को अपील प्रस्तुत करे के लिए अपेक्षित रीति;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों की श्रेणियों को स्वैच्छिक प्रकटन करने के लिए उपलब्ध अनुबन्ध;

(ज) सूचना की पहुंच के लिए अनुरोधों से सम्बन्धित देय शुल्क के बारे में सूचनाएं; और

(झ) अधिनियम के अनुसार सूचना तक पहुंच पाने से सम्बधित बनाए गए अथवा जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम अथवा परिपत्र।

(4) सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गनिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशन करना चाहिए।

24. **सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति** (1) अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्व करने के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों को बना सकती है।

(2) ऐसे नियम विशेषकर और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिक ल

प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी एक विषय का व्यवस्था पन कर सकते है, यथा :–

(क) धारा 4 की उप धारा (4) के अर्न्तगत किए जाने वाले प्रचार प्रसार हेतु मीड़िया की लागत अथवा सामग्रियों की छपाई की लागत।

(ख) धारा 6 की उप धारा (1) के अर्न्तगत देय शुल्कः

(ग) धारा 7 की उप धारा (1) और (5) के अर्न्तगत देय शुल्क;

(घ) धारा 13 की उप धारा (6) के अर्न्तगत अधिकारियों और कर्मचारियों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें;

(ड) धारा 16 की उप धारा (11) के अर्न्तगत अपीलों पर निर्णय लेने में राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि, और

(च) कोई अन्य विषय जो निर्धारति किया जाना अपेक्षित है अथवा निर्धारति किया जाएगा।

25. **सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियम बनाने की शक्ति** :- (1) धारा 24 के उपबन्धों की शर्तो के अधीन अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकता है।

(2) ऐसे नियम विशेषकर और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी एक विषय का व्यवस्थापन कर सकते है, यथा–

(क) धारा 4 की उप धारा (4) के अधीन किए जाने वाले प्रसार प्रचार हेतु मीड़िया की लागत अथवा सामग्रियों की छपाई की लागत;

(ख) धारा 6 की उप धारा (1) के अर्न्तगत देय शुल्क;

(ग) धारा 7 की उप धारा (1) के अर्न्तगत देय शुल्क, और

(घ) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जाना अपेक्षित है अथवा निर्धारित किया जाएगा।

26. **नियमों को समक्ष रखनाः**- इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष उस समय, जब वह सत्र में हो, कुल मिलकर तीस दिन की कालाबधि के लिए, जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, रखा जाएगा और

यदि उस सत्र के या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र अथवा उपर्युक्त समवर्ती सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनो सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाए जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथा स्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले ही की गई किसी बात की विधमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

27. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः-** (1) यदि अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध तैयार करे जो अधिनियम के उपबन्धों के साथ असंगति नहीं रखते हों जो उसको कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो–

परन्तु अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से लेकर दो वर्ष की अवधि के अवसान पर ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर एक आदेश, बनाए जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

28. निरसन तथा अपवाद– (1) जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार, 2004 तथा जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार संशोधित अधिनियम, 2008 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए, ऐसे निरसन के पूर्व किए गए किसी कृत्य अथवा की गई किसी कार्रवाइ अथवा बनाए गए किसी आदेश को, यथा स्थिति, इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अर्न्तगत किया गया, की गई अथवा बनाया गया समझा जाएगा।

अनुसची
(धारा 13 (3) देखिए)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा शपथग्रहण अथवा प्रतिज्ञान किए जाने का प्ररूप

"मैं, ... राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त होने पर ईश्वर की शपथ लेकर/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करके वचन देता हूँ कि मैं विधि द्वारा संस्थापित राज्य के संविधान के प्रति सद्भावना और निष्ठा धरण करूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंड़ता को बनाए रखूंगा और मैं विधिवत् और निष्ठा से और मेरी अधिकतम योग्यता, जानकारी और विवेक से अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के, अनुराग अथवा वैमनस्य के पालन करूंगा और यह कि मैं संविधान तथा विधियों को बनाए रखूंगा।"